मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

ज्ञाप क्रमांक/मध्यान्ह भोजन/निर्देश/2011/ 597 रायपुर, दिनांक 13-2-2012

प्रति,

1.समस्त कलेक्टर

2.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

3.समस्त सहायक आयुक्त आजाकवि.

छत्तीसगढ़

विषय : मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन सुचारू संचालन के लिए निर्देश ।

संदर्भ : डॉ. अमरजीत सिंग, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मानव संस्थान विकास मंत्रालय–स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भ्‌वन, नई दिल्ली का अर्ध्दशासकीय पत्र क्रमांक/एफ नं. 14–1/2011/एमडीएम– 1–1/ईई.–5/दिनांक 23.1.2012.

उपरोक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है, अवलोकन करने का कष्ट करें । भारत शासन की मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए एक कल्याणकारी योजना है । प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत 12.26 लाख स्कूलों के 10.67 करोड़ बच्चें इस योजना से लाभान्वित हो रहे है । कार्यक्रम की सतत निगरानी एवं मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार द्वारा 40 सामाजिक संस्थाओं को पूरे भारत में मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी गयी है ।

नामांकित संस्थाओं ने दिनांक 31 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 तक 34 मॉनिटरिंग संस्थाओं ने 27 राज्यों/केन्द्र प्रशासित प्रदेशों की शालाओं की मॉनिटरिंग की तथा भारत शासन का कुछ संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराते हुए तथ्य प्रस्तुत किए गए । विश्लेषण के आधार पर निम्नांकित निर्देश दिये जाते है । कृपया अपने जिले में इसका पालन सुनिश्चित करावें ।

1. योजना का नियमित संचालन :

प्रत्येक शाला दिवस को बिना किसी बाधा के बच्चों को पौष्टिक ,गरम एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराना है । राष्ट्रीय बाल श्रमिक शालाओं मे रविवार राष्ट्रीय त्यौहार एवं कुछ अन्य त्यौहारों को छोड़कर प्रत्येक दिन मध्यान्ह भोजन दिया जाना है । अतः प्रत्येक शाला हेतु खाद्यान (चांवल),कुकिंग कास्ट,रसोइयां एवं अन्य आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर ले । किचन शेड सह भंडार कक्ष विहिन शालाओं मे खराब मौसम एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में भी मध्यान्ह भोजन का संचालन सुचारु रुप से चल सके इसकी पूर्व तैयारी कर लें ।

2. शाला स्तर पर अनाज की नियमित उपलब्धता :

मध्यान्ह भोजन योजना संचालित प्रत्येक शाला में योजना के सुचारु संचालन के लिये चावल का भंडारण 10 से 15 दिन पूर्व सुनिश्चित होना चाहिये । किसी भी शाला में चांवल की कमी के कारण योजना बाधित नही होनी चाहिये । जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि योजना के सुचारु रुप से संचालन के लिये मध्यान्ह भोजन योजना के नोडल विभाग (स्कूल शिक्षा विभाग) द्वारा एन. आई. सी. के सहयोग से ऑन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है । इस सिस्टम के अन्तर्गत शालाओं को चांवल आबंटन का कार्य निम्न चरणों में संपादित किया जाता है –

- शाला स्तर पर प्रत्येक मध्यान्ह भोजन दिवस में लाभान्वित बच्चों की संख्या को शाला के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है । माह के अंत में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध प्रोफार्मा में प्रविष्ट किया जाता है । प्रोफार्मा में ही लाभान्वित माह के लिये उपलब्ध खाद्यान्न एवं खपत की जानकारी भी भरी जाती है । इसके पश्चात मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन कर्ता समूह के अध्यक्ष एवं प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर उपरांत इस प्रोफार्मा को संकूल समन्वयक के माध्यम से प्रत्येक माह के 5 तारीख के पूर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिया जाता है ।

- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे मध्यान्ह भोजन सेल में नियुक्त अधिकारी द्वारा परीक्षण कर सेल में कलेक्टर दर पर रखे गये **कम्प्यूटर आपरेटर की मदद से आन लाइन** प्रविष्टि कराई जाती है । आन लाइन **प्रविष्टि के साथ ही शाला की दर्ज संख्या तथा** आगामी माह में शाला लगने के दिनो **की संख्या के आधार पर आंतरिक गणना के द्वारा** शाला के लिये आगामी माह हेतु चांवल **का आबंटन हो जाता है। विकासखण्ड कार्यालय** द्वारा यह कार्य प्रत्येक माह के 5 तारीख **से लेकर 12 तारीख तक पूर्ण कर लिया जाता है** ।

- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे प्रविष्टि पूर्ण होने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मध्यान्ह भोजन योजना के सेल के अधिकारियों द्वारा, उनकों साफ्टवेयर में उपलब्ध कराये गये जिला शिक्षा अधिकारी (Login) लागइन से प्रवेश कर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे प्रविष्टि आबंटन का अवलोकन किया जाता है। अवलोकन में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे आन लाइन साफ्टवेयर में ही सुधार लिया जाता है। अवलोकन पूर्ण होने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शालाओं को आगामी माह के लिये साफ्टवेयर जनित चांवल आबंटन को साफ्टवेयर में दी गई सुविधा के द्वारा ही ,नागरिक आपूर्ति निगम के साफ्टवेयर में भेज दिया जाता है । जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा यह कार्य प्रत्येक माह के 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पूर्ण कर लिया जाता है ।

- नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा शालाओं को नेट में जारी आबंटन के आधार पर अपने भंडारण स्थान से उचित मूल्य की दुकान में भंडारण कराया जाता है । यह कार्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा माह के 15 तारीख से प्रारम्भ कर 30 तारीख तक पूर्ण कर लिया जाता है ।

- जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जैसे ही अवलोकन पूर्ण कर नागरिक आपूर्ति निगम को आबंटन जारी किया जाता है , इसकी सूचना विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दे दी जाती है । विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से शालाओं हेतु कूपन जारी किया जाता है । विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कूपन को संकूल समन्वयक के माध्यम से शालाओं को भेज दिया जाता है । इस कूपन में दो भाग होते है जिसमें एक भाग समूह/प्रधान पाठक के लिये तथा दूसरा भाग उचित मूल्य की दूकान के लिये होता है ।
- मध्यान्ह भोजन योजना संचालन कर्ता समूह द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी कूपन तथा राशन कार्ड के आधार पर उचित मूल्य की दूकान से शाला हेतु चांवल प्राप्त कर निर्धारित स्थान पर भंडारण कर लिया जाता है ।

<u>3. समूह/शाला स्तर पर कुकिंग कास्ट की राशि समय पर उपलब्ध कराना :</u>

मध्यान्ह भोजन योजना में कुकिंग कास्ट एक महत्वपूर्ण मद है । वर्तमान में कुकिंग कास्ट की दर चालू वर्ष 2011–12 के लिये प्राथमिक स्तर पर 3.40 रु तथा अपर प्राथमिक स्तर पर 4.40 रु प्रत्येक मध्यान्ह भोजन दिवस प्रति छात्र है ।

मॉनिटरिंग संस्था के रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि कुकिंग कास्ट की राशि शालाओं तक पहुंचने में अत्यधिक विलम्ब होता है जिससे संचालनकर्ता समूह को योजना के संचालन मे कठिनाई होती है । समूहों को योजना के संचालन के लिये आवश्यक सामग्री मजबूरी में उधारी में कय करना पड़ता है जिससे मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में भी कमी होती है।

सामान्य रुप से कुकिंग कास्ट की राशि का शाला स्तर पर समय पर नहीं पहुंच पाने के निम्न कारण होते है –

1 राज्य में मध्यान्ह भोजन योजना की राशियों के वितरण हेतु जो चैनल बनाया गया है, वह बहुत लम्बा है ।

2 विभिन्न चरणों में राशियों के जारी करने में कागजी कार्यवाही में अधिक समय लगता है।

3 समूह तक राशियों को जारी करने में जानबूझकर देरी की जाती है ।

उपरोक्त कारणों से राशि को राज्य कार्यालय से शाला स्तर तक पहुंचनें में कही–कही दो से तीन महिने लग जाते है । यह भी देखने में आया है, कि कुछ जिलों में विभिन्न चरणों में राशि का अपने अधिनस्थ कार्यालयों को पुनर्वितरण करने के बजाय उसका आहरण कर उस मद के बैंक खाते में डाल दिया जाता है और उसका वितरण चेक के माध्यम से किया जाता है, जिसमें अधिक समय लगता है। इतनी बड़ी राशि बैंक में जमा होने से उस मद में ब्याज की राशि जमा हो जाती है ,इस ब्याज की राशि का उपयोग कार्यालय द्वारा अन्य मदों में किया जाता है, जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है ।

- **कुकिंग कास्ट की राशि का प्रवाह (पुनर्वितरण) निम्नानुसार किया जाना चाहिये–**

राज्य शासन का नोडल विभाग

↓

↓**पुनर्बटन**	↓**पुनर्बटन**
संचालनालय, स्कूल शिक्षा विभाग	संचालनालय, आ.जा.क.वि
↓**पुनर्बटन**	↓**पुनर्बटन**
जिला शिक्षा अधिकारी	सहायक आयुक्त
↓**पुनर्बटन**	↓**पुनर्बटन**
विकासखंड शिक्षा अधिकारी	विकासखंड शिक्षा अधिकारी
↓ चेक या कोर बैंकिग	↓ चेक या कोर बैंकिग
शाला/संचालनकर्ता समूह	शाला/संचालनकर्ता समूह

योजना का जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक **आयुक्त द्वारा सतत् निरीक्षण किया जाना है** ।

4. सामाजिक समानता :

मध्यान्ह भोजन योजना के उद्देश्यों **में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक समानता** को **बढ़ावा** देना है । शाला में बच्चे जातिगत, धर्म एवं लिंग भेद से उपर उठकर एक साथ बैठकर एक जैसा भोजन ग्रहण करते है तो बच्चों में समानता का भाव उत्पन्न होता है।

यदि किसी स्थान पर इसका उल्लंघन होता हो, तो उसका निराकरण वहां के शाला विकास एवं प्रबंधन समिति एवं अधिकारियों को आपस में बातचीत कर समय रहते हुए इस समस्या को दूर कर लिया जाना चाहिए ।

5. मध्यान्ह भोजन के मीनू में विविधता :

मध्यान्ह भोजन के मीनू में सप्ताह भर के मीनू चार्ट में विविधता होनी चाहिए, जिससे बच्चें में मध्यान्ह भोजन के प्रति रूचि बढ़े । साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे, कि मीनू में हरी सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो । एक ही प्रकार के मीनू पर आधारित भोजन से बच्चों में भोजन के प्रति अरूचि की भावना पैदा होती है ।

मीनू का प्रदर्शन शाला के उचित स्थान पर किया जाना चाहिए । मीनू का निर्णय मोटे तौर पर जिला स्तर पर होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, वसा हेतु खाद्य पदार्थो की सूची में पर्याप्त विविधता होनी चाहिये, जिससे जिले के विभिन्न भागों में विविधता के आधार पर स्थानीय स्तर में उपलब्ध हरी सब्जीयों एवं अन्य खाद्य पदार्थो से युक्त मीनू तैयार किया जा सके ।

6. मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा :

मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा पर मॉनिटरिंग संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ पर यह टिप्पणी की गयी है, कि स्वास्थ्य की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में मध्यान्ह भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों ही कम है ।

स. क्र.	खाद्य पदार्थ	प्रति दिवस मात्रा	
		प्राथमिक	अपर प्राथमिक
1	खाद्यान (चांवल)	100 ग्राम	150 ग्राम
2	दाल	20 ग्राम	30 ग्राम
3	सब्जी (पत्तेदार हरी सब्जी)	50 ग्राम	75 ग्राम
4	तेल एवं वसा (धी)	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5	नमक एवं अन्य मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

अधिकांश शालाओं में साप्ताहिक भोजन मीनू का प्रदर्शन नहीं किया जाता है । मीनू का प्रदर्शन शाला में ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए, जिसका अवलोकन छात्रों के साथ–साथ शाला में आने वाले पालक, समिति के सदस्य एवं जन–सामान्य सभी के द्वारा किया जा सके।

7. स्कूल हेल्थ कार्यक्रम :

राज्य के सभी प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक शालाओं को स्कूल हेल्थ कार्यक्रम से जोड़ा जाना है । जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र का हेल्थ कार्ड जारी किया जाना है । समय–समय पर शालाओं में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण किया जाना चाहिए । जिसमें सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, सिकलसेल एनिमिया का परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार फोलिक एसिड एवं कृमि टेबलेट वितरित किया जाना है ।

खेद का विषय है कि अधिकांश शालाओं में वर्ष में एक बार भी हेल्थ परीक्षण संबंधित/जवाबदार विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि स्कूली बच्चों के लिये स्कूल हेल्थ कार्यक्रम ही एकमात्र कार्यक्रम है । बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण उनमें पायी गयी कमियों के आधार पर उनको दिये जाने वाले आहार में समय रहते आवश्यक सुधार किया जा सकता है ।

8. रसोईयां सह सहायिका का मानदेय भुगतान :

मॉनिटरिंग संस्था द्वारा इस विषय में छत्तीसगढ़ राज्य का विषेष रूप से उल्लेख करते हुये यह बात कहीं गयी है, कि रसोईयों एवं सहायिकाओं के मानेदय का भुगतान समय पर एवं नियमित रूप से नहीं किया जाता है । शालाओं में छात्र संख्या के आधार पर नियमानुसार समूहों को रसोईयां एवं सहायिका रखा जाना चाहिए ।

कार्यरत रसोईयां एवं सहायिका का विवरण ऑन लाईन मॉनिटरिंग सिस्टम में प्रविष्ठ कराया जाना है ।

9. सामाजिक सहभागिता :

मध्यान्ह भोजन योजना में शाला प्रबंधन समिति प्रधानाध्यापक के अलावा पालकों की सहभागिता होनी चाहिए । इसके लिये पालक, शिक्षक की बैठक में पालकों को शाला के विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़ने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए, साथ ही संचालनकर्ता समूह को पालकों से मध्यान्ह भोजन संबंधी मिलने वाली फीडबेक से अवगत कराते रहना चाहिए ।

शालाओं में इस हेतु एक सुझाव एवं शिकायत रजिस्टर रखा जाना चाहिए, जिससे पालकों से शाला की अन्य गतिविधियों के साथ–साथ मध्यान्ह भोजन संबंधी फीडबेक लिया जाना चाहिए।

समय–समय पर बच्चों की माताओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को मध्यान्ह भोजन के समय आमंत्रित कर भोजन परीक्षण /टेस्ट करवाया जाना चाहिए । हमेशा किसी शिक्षक या ग्राम के अन्य लोगों के मध्यान्ह भोजन का परीक्षण/टेस्ट के पश्चात ही बच्चों में भोजन का वितरण किया जाना चाहिए ।

10. किचन एवं भण्डार कक्ष का निर्माण :

मॉनिटरिंग संस्था द्वारा विशेषकर छत्तीसगढ़ में किचन शेड सह भंडार कक्ष की कमी पर ध्यान आकर्षित किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2007–08 से अब तक कुल 38313 किचन शेड सह भंडार कक्ष के लिये जिलों को राशि दी जा चुकी है, किंतु जिला पंचायतों के द्वारा अभी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है । जिसके कारण अधिकांश शालाओं में मध्यान्ह भोजन खुले स्थान पर बनाया जाता है ।

खुले स्थान में भोजन बनाने के कारण आंधी, तूफान, वर्षा के दौरान आये दिन मध्यान्ह भोजन के बाधित होने की आशंका बनी रहती है । समूहों को भोजन पकाने तथा सामग्रियों के संग्रहण में भी असुविधा होती है । जिस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान में प्रधान पाठक एवं शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से शाला में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करवाया जाता है उसी तर्ज पर किचन शेड सह भंडार कक्ष का निर्माण कार्य भी पूर्ण कराया जाना चाहिए । इस हेतु अतिशीघ्र, जिला पंचायत को किचनशेड सह भंडार कक्ष की राशि शालाओं को हस्तांतरित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए ।

11. सतत् निरीक्षण :

योजना के सुचारू रूप से संचालन एवं गुणवत्ता में सुधार के लिये यह आवश्यक है कि शालाओं का विभिन्न निकायों द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए । इस हेतु ऑन लाईन मॉनिटरिंग सिस्टम में भी सुविधा दी गयी है । मॉनिटरिंग हेतु निम्नानुसार कार्य योजना तैयार किया जाना है:

1. विकासखंड स्तर तथा जिले स्तर पर मध्यान्ह भोजन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मध्यान्ह भोजन सेल का गठन किया जाना चाहिये।
2. जिले में टोल फ्री काल सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है, जिससे शिकायत एवं सुझाव पर त्वरित कार्यवाही किया जा सके ।
3. सॉफ्टवेयर के रिपोर्ट में सूचीबद्ध उच्च उपस्थिति वाली शालाओं तथा निम्न उपस्थिति वाली शालाओं का निरीक्षण अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिये।

12. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का LOGO "लोगो" का उपयोग :

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

सत्र के प्रारंभ में ही MDM LOGO को सभी जिलों को भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक मध्यान्ह भोजन संचालित शालाओं में इस LOGO को आम जनता को दिखाई दे सके, ऐसे स्थान में चित्रांकित नहीं किया गया है । यह केन्द्र सरकार की एक फ्लेगशीप योजना है, इसका प्रचार प्रसार आम जनता तक पहुंचाने के लिए LOGO को चित्रांकित किया जाना आवश्यक है । मध्यान्ह भोजन से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार में LOGO का उपयोग आवश्यक रूप से किया जावे ।

13. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार :

इस योजना के प्रति जन सामान्य में जागरूकता के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1–2 मिनट के विडियो क्लिप तैयार किये गये है । इस क्लिप का दूरदर्शन एवं स्थानीय चैनलों के माध्यम से प्रसारण करवाया जाना चाहिए जिससे मध्यान्ह भोजन योजना में सामाजिक सहभागिता बढ़ेगी एवं मध्यान्ह भोजन संचालनकर्ता समूहों में साफ–सफाई के प्रति जागरुकता आयेगी ।

14. नवाचारी :

इस योजना के कियान्वयन में सुधार के लिये आपके द्वारा किये गये नवाचारी प्रयोग से उच्च कार्यालय को अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे उसका लाभ राज्य एवं देश के अन्य जिलों को भी मिल सके ।

15. वर्ष 2012—13 के AWP & B का निर्माण :

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट दिनांक 25/2/.2012 तक अनिवार्य रूप से भेजें जिससे राज्य का AWP & B निर्धारित समय पर तैयार किया जा सके।

जिले के AWP & B के लिये निर्धारित प्रपत्र एवं राईटअप के लिये बिंदु, पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर भेजा जा रहा है । यह प्रपत्र मध्यान्ह भोजन योजना के आनलाइन सॉफ्टवेयर से भी डाउनलोड किया जा सकता है । उक्त हेतु साइट एड्रेस निम्नानुसार है —

www.cg.nic.in/pdsonline/cgmdm

16. प्रशिक्षण

समय—समय पर संकुल तथा विकासखण्ड स्तर पर रसोइयां , संचालनकर्ता स्वसहायता समूह के सदस्यों को जिला स्तर पर नियुक्त डायटिशयन तथा न्युट्रिशियन के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । वित्तीय **वर्ष 2011—12 में इस प्रकार के प्रशिक्षण की** आवश्यकता आपके जिले में हो तो इस हेतु **प्रस्ताव तैयार कर 28 फरवरी 2012 तक** राज्य कार्यालय में अनिवार्य रुप से भेजे ।

13/2/2012

आयुक्त
लोक शिक्षण
छत्तीसगढ़